



संख्या- 57/2025/1475/77-6-2025/1859056

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 22-07-2025

विषय:- "त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 " के क्रियान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में आवंटित धनराशि रुपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0 को प्रथम किशत की धनराशि रु. 12,18,52,271.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबंधक (कम्प्यूटर) पिकप के पत्र संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./426 दिनांक 11.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020" के अंतर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में आवंटित धनराशि रुपये 125.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु. 12,18,52,271.00 (रु. बाहर करोड़ अठ्ठारह लाख बावन हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्र. सं.	कम्पनी	अनुमोदित अनुमन्य धनराशि	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1.5 प्रतिशत)	इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0, अमेठी	12,18,52,271.00	18,27,784.00	12,00,24,487.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कुल धनराशि (4+5)

12,18,52,271.00

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु.125.00 करोड़ (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्तानुसार स्वीकृत कुल धनराशि रु. 12,18,52,271.00 (रु. बाहर करोड़ अठ्ठारह लाख बावन हजार दो सौ इकहतर मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुक्त किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. पिकप द्वारा धनराशि वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
9. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
10. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,18,52,271.00 (रुपये बाहर करोड़ अठारह लाख बावन हजार दो सौ इकहतर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808000300** त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 **मानक मद 42-** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 57/2025/1475(1)/77-6-2025/1859056 .तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/ए.आई.पी.पी/डिस्ब./426 दिनांक 11.07.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।